RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG,
JAIPUR-302 005.

Ref.No.RFC/Law-3/LPM (21)/7768 Dated : 28 Jan.,2004

CIRCULAR
(Lit.Cir.No. 97)

Sub : Recovery of dues of the Corporation under the provisions of Section 32-G of SFCs Act, 1951

We wish to draw your attention towards the letter No. P.12/Misc./2002-03/19224 dated 25.10.2003 of Revenue Board, Ajmer addressed to Collector, Bharatpur and copy endorsed to all the District Collectors of the State of Rajasthan on the above subject (copy enclosed).

We have taken up the matter with the Chairman, Revenue Board, Ajmer vide our CMD's letter dated 15.01.2004 and also with the PSI vide letter dated 19.01.2004 for withdrawal of directions issued by the Revenue Board.

It has specifically been mentioned in our letters that the Corporation cannot deviate from provisions of Section 32-G and initiate recovery under the PDR Act as suggested by the Revenue Board in their letter referred above, as such an action would be illegal under the law and would not stand scrutiny in the Courts; the SFCs Act being a Central statute.

Soon after the reply is received from the Revenue Board further necessary action in the cases of Section 32-G, which have been returned back by the Collectors, shall be initiated.

(J. P. VIMAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

Encl: as above

Copy to :-

1. All Regional/Branch/Sub offices.
2. BM(WZ),Jodhpur/DGM(A&I),WZ,Ajmer
3. Standard circulation at HO.

PDR
5/11/03

410
27
292

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- प.12(विविध)2002-03/ 9224 दिनांक:-28.10.03

जिला कलक्टर,
भरतपुर

विषय:- राजस्थान वित्त निगम द्वारा बकाया ऋणों वसूली ।

प्रसंग:- आपका अ.शा.पत्रांक डी.आर.ए./9798/280
दिनांक 24.2.2003

---xxx---

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ.शा.पत्र के द्वारा आपने अवगत कराया था कि डिप्टी जनरल मैनेजर रीजनल ऑफिस राजस्थान वित्त निगम, जयपुर द्वारा उधारियों से बकाया ऋण की वसूली बाबत भू.राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256-257 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है जबकि लोन एग्रीमेंट के अन्तर्गत बकाया राशि पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत वसूली करने की शर्त है इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया है कि राजस्थान वित्त निगम अधिनियम,1951 की धारा 32 (जी) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा डिमाण्ड सर्टिफिकेट कलक्टर को भेजने एवं कलेक्टर द्वारा भू.राजस्व की बकाया की तरह राशि वसूल करने का प्रावधान है । इस हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.10 (8)इन्डस्ट्रीज/2189 दिनांक 28.11.95 से जनरल मैनेजर (डवलपमेन्ट) एवं डिप्टी जनरल मैनेजर (रीजन) को डिमाण्ड सर्टिफिकेट जारी करने बाबत अधिकृत किया गया है । प्रासंगिक पत्र द्वारा इन प्रकरणों की वसूली किस अधिनियम के अन्तर्गत की जानी है, के सम्बन्ध में मण्डल से मार्गदर्शन चाहा गया था ।

विषयगत प्रकरण मण्डल स्तर पर परीक्षण किया गया । इसके अनुसार यदि वसूली प्रकरण में उल्लेखित मांग राशि किसी अधिनियम के अन्तर्गत लोक मांग घोषित है तथा यदि यह राशि राज्य सरकार या विभाग या सरकारी अधिकारी को किसी लिखित प्रलेख या अनुबन्ध द्वारा प्रेरित है तो यह राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 की धारा 2 (5) के शिडयूल के बिन्दु सं. 1, 2 एवं 6 के अन्तर्गत वसूल योग्य होती है ।

P.T.O. Contd. →

DATE	RECEIVED	SECTION	FROM	TYPE
-200	AN / FN		GOV.	DEMI OFFICIAL URGENT ORDINARY

//2//

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.1.0(8) उद्योग/2/92 दिनांक 30.1.92 एवं क्रमांक एफ.10(8)उद्योग/2/89 दिनांक 28.11.95 को सर्टिफिकेट आफ डिमाण्ड जारी करने का प्रावधान निर्धारित प्रक्रिया जो अधिसूचनों के साथ संलग्न अपेंडिक्स-[illegible] में बतायी गयी है के अनुसार करते हुए किया गया है । डिमाण्ड आफ सर्टिफिकेट पी.डी.आर.एक्ट के तहत ही जारी होता है । राजस्थान वित्त निगम द्वारा जो ऋण अनुबन्ध किया गया है । जिसकी प्रति आपके द्वारा प्रेषित की गई है । उसमें भी राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट, 1952 के तहत ही वसूली होने का उल्लेख किया हुआ है ।

अत: निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान वित्त निगम के उक्त प्रकार के वसूली प्रकरणों को राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज कर वसूली करने की प्रक्रिया अपनायी जावें ।

भवदीय,

अति0निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: सम/ 19225-287 दिनांक: 28.10.03

प्रतिलिपि:-

समस्त जिला कलक्टर राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि कतिपय जिलों में राजस्थान वित्त निगम, जयपुर द्वारा उद्यमियों से बकाया ऋण की वसूली भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धाराएं 256-257 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर की जा रही है । अत: इस सम्बन्ध में समीक्षा/अनुबन्ध आदि को देखकर सुनिश्चित करें कि क्या वसूली हेतु सही प्रक्रिया नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । यदि पी.डी.आर.एक्ट में प्रकरण दर्ज कर वसूली नहीं की जा रही है तो कारण सहित विवरण मण्डल को भिजवाए अन्यथा जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत स्थिति के अनुसार ऐसे प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही पी.डी.आर.एक्ट में की जानी चाहिए ।

अति0निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

944
5-11-03